

भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/39/2012-अ.भा.से.-।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 17 दिसंबर, 2012

### अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागालैंड और राजस्थान सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री विश्व मोहन शर्मा, भा.प्र. से. (नागालैंड: 10) को सुश्री सुदीप कौर, भा.पु.से. (राजस्थान: 10) के साथ विवाह के आधार पर, नागालैंड संवर्ग से राजस्थान संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है ।

  
(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092695

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)